Dr M.K. Jha.
Dept of Sociology
U.S.J college, Rajnagar.

B.A part - III
Sociology (Hons)
paper - V
Kinship, Marriage and Family

Question - अन्तर्जातीय विवाह से आप क्या समझते हैं? अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देने वाले प्रमुख कारकों की विवेचना कीजिए।

Answer - भारत में स्वतंत्रता के बाद जैसे-जैसे सामाजिक संरचना सामाजिक मूल्यों और लोगों की मनोवृत्तियों में परिवर्तन हुआ तब से अन्तर्विवाह (endogamy) का नियम कमजोर पड़ने लगा। आज नयी पीढ़ी के बहुत से युवक और युवतियाँ यह मानने लगे हैं कि वैवाहिक जीवन के लिए पति-पत्नी के बीच जातिगत समानता का होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि विचारों, मनोवृत्तियों और व्यवहार के ढंगों में समानता का होना चाहिए। इसके फलस्वरूप विवाह के नये प्रतिमान के रूप में विभिन्न जातियों और धर्मों के बीच अन्तर्जातीय विवाह सामने आया है।

अन्तर्जातीय विवाह का तात्पर्य उन विवाहों से है जो एक-दूसरे से भिन्न जाति के स्त्री-पुरुष के बीच स्थापित होते हैं। व्यापक अर्थों में अन्तर्जातीय विवाह में उन विवाहों को भी सम्मिलित किया जाता है जो एक-दूसरे से भिन्न धर्मों को मानने वाले स्त्री-पुरुष होते हैं जो आपस में विवाह करते हैं।

अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन देने वाले कारक (Factors promoting intercaste marriage) निम्नांकित हैं:-

1. जाति संरचना का विघटन :- भारत में जाति संरचना और जातिगत कार्य में अब विघटन उत्पन्न हुई है। सामाजिक सम्पर्क, खान-पान, स्पर्श और आदर्श प्रतिमान अब शिथिल हो गयी है। जातिगत नियमों में सभी व्यवहार के नियम तोड़ने पर आतुर है फलत अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन मिला है।

2. स्त्री-शिक्षा - अन्तर्जातीय विवाह में को प्रोत्साहन देने में स्त्री-शिक्षा का विशेष भूमिका है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों में जीवन-साथी चुनने के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है। नगर में अधिकांश पढ़ी-लिखी शिक्षा से अपने को विवेकशील मानती हैं और वैवाहिक निर्णय स्वयं ले रही हैं फलतः अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन मिली है।

3. समतावादी सामाजिक मूल्य -

स्वतंत्रता के बाद विभिन्न समूहों के बीच सांस्कृतिक मिश्रण बढ़ने से विभिन्न जातियों की सामाजिक दूरी में कमी आई है। अब समतावादी मूल्य जाति विभाजन की जगह मानवतावाद को अधिक महत्व देते हैं इन्हीं का प्रभाव अन्तर्जातीय विवाह है।

4. स्थानीय गतिशीलता में वृद्धि -

सामाजिक सम्बन्ध अब गाँव तक सीमित नहीं है बल्कि औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के कारण अधिकाधिक परिवार नगर में जा बसे हैं इनके बीच शिक्षा, यातायात और कार्य के आधार पर सम्पर्क बना है जो अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया है।

5. व्यावसायिक सहभागी का आकर्षण -

आज सरकारी सेवाओं, निजी प्रतिष्ठानों, बड़े बड़े कार्यालयों, विभिन्न व्यवसायों में एक साथ महिला-पुरुष काम कर रहे हैं वे अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन कर रहे हैं। डॉक्टर, शिक्षक, अधिकारी वकील, एवं व्यवसायी जो एक साथ आजीविका उपार्जन कर रहे हैं वे सभी अन्तर्जातीय विवाह को अपनाते हैं।

6. वैधानिक सुविधाएं - विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 आदि ने अन्तर्जातीय विवाहों को कानूनी मान्यता प्रदान किया है।

7. स्त्री स्वतंत्रता - लड़की अब शिक्षित हो रही है आर्थिक कार्यों में गाँव-नगर दोनों जगत करने लगी है आजीविका अब लड़की का उद्देश्य बन रही है जो आत्मनिर्भरता बनाती है और स्वयं निर्णय लेने की छूट स्वतः मिल जाती है जो अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन कारक है।

8. परिवार के नियंत्रण में कमी - केन्द्रिय परिवार व एकल परिवार में नियंत्रण का कमी आया है अब लड़का-लड़की आधुनिकता, आकर्षण व देखादेखी प्रभाव से नियमित हो रही है जो नवीन परिवारिक क्षमता अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित कर रहा है।

9. समानता का सिद्धान्त - प्रजातंत्र में जाति, संस्कृति, रंग, लिंग, जन्म, धर्म और प्रजाति के स्थान भेद के स्थान पर समानता को अधिक महत्व दिया है जिससे जातिगत समीपता आकार का जन्म हुआ है जो अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया है।

Merits or Justification of Inter-caste Marriage-

डॉ० घुरिये G.S. Ghurye ने लिखा है कि "विभिन्न सम्बन्धों को दृढ़ करने और राष्ट्रीयता के पोषण के लिए अन्तर्जातीय विवाह द्वारा रक्त का एकीभाव एक प्रभावशाली साधन है।"

अतएव, अन्तर्जातीय विवाह लाभप्रद है जैसे:-

1. जातिवाद की समाप्ति -- धुरिये के अनुसार अन्तर्जातीय विवाह से जातिविहीन वातावरण पनपेगा और एक ऐसी पीढ़ी का पोषण होगा जो जाति-प्रथा का कट्टर विरोधी होगी।

2. सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता - अन्तर्जातीय विवाह से परस्पर संघर्ष कम होगा। समानता में विश्वास का जन्म होगा जिससे सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास होगा।

3. दहेज से मुक्ति - अन्तर्जातीय विवाह में दहेज का प्रयोग नहीं होता है समाज में प्रचलित दहेज प्रथा पर स्वतः अंकुश लग जाएगा।

4. उत्तम वंशानुक्रम - आज जीव विज्ञानी मानते हैं कि अलग-अलग जातियों से सम्बन्धित पति-पत्नी का रक्त जब एक दूसरे से भिन्न होता है तो उनसे कहीं उत्तम संतान जन्म ले सकता है।

5. जनसंख्या विस्फोटक का हल - अन्तर्जातीय विवाह परिपक्व आयु में होती है। इससे परिवार के स्त्री-पुरुष समझदारी एवं उत्तरदायित्व से चलते हैं फलतः परिवार का आकार 2-5 तक होगी।

भारत के प्रत्येक प्रगतिवादी नागरिक अन्तर्जातीय विवाह को सामाजिक एकरूपता एवं सामान्य संस्कृति के विकास में सहायक मानते हैं। सामान्य संस्कृति का विकास राष्ट्रीय एकता का वास्तविक आधार है।

Scanned with Cam